

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 302(अ).- अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, असम-मेघालय सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियमावली, 2014 कहलाएंगे।  
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-

"अनुसूची II-भाग क" में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में बरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली 'असम-मेघालय' प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

## "असम-मेघालय

असम	
मुख्य सचिव	80,000/ रु. (नियत)
अध्यक्ष, असम प्रशासनिक अधिकरण	80,000/ रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव	80,000/ रु. (नियत)
प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/
कृषि उत्पादन आयुक्त	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि

1807 GA/14-2

	3% से अधिक नहीं) 79000/
प्रधान निवासी आयुक्त, नई दिल्ली	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0
प्रभागीय आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0
आयुक्त और सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0
कर, आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0
आयुक्त, उद्योग	पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0
आयुक्त, पी एंड आरडी	पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0
महानिदेशक, असम प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय	पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0
<b>मेघालय</b>	
मुख्य सचिव	80,000/ रु. (नियत)
अध्यक्ष, प्रशासनिक सुधार	80,000/ रु. (नियत)
प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/
आयुक्त और सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0
प्रभाग आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0
आयुक्त और राज्यपाल के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0

(ख) " अनुसूची II- भाग ख" में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'असम-मेघालय' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**असम**

मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी
सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
आयुक्त, परिवहन
आयुक्त, उत्पाद-शुल्क
निदेशक, भूमि रिकॉर्ड
पंजीयक, सहकारी समितियां
उपायुक्त
सदस्य, राजस्व बोर्ड
निदेशक, सामाजिक कल्याण
श्रम आयुक्त
सीईओ, जेडपी

**मेघालय**

सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
------------------------------------

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
पंजीयक, सहकारी समितियां
उपायुक्त
निदेशक, सी एंड आरडी
कर आयुक्त
उत्पाद-शुल्क आयुक्त
एडीसी/डीपीओ"

[सं.11031/10/2013-अ.भा.से.-II(ख)"]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य नियम 20.03.2008 की सा.का.नि.213 (अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि.सं0 665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, सा.का.नि.सं0 542(अ) दिनांक 21.07.2009, सा.का.नि.सं0 572(अ) दिनांक 13.08.2009, सा.का.नि.सं0 820 दिनांक 12.11.2009, सा.का.नि.सं0 72(अ) दिनांक 10.02.2010, सा.का.नि.सं0 102(अ) दिनांक 25.2.2010, सा.का.नि.सं0 191(अ) दिनांक 12.03.2010, सा.का.नि.सं0 298(अ) दिनांक 08.04.2010, सा.का.नि.सं0 397(अ) दिनांक 11.05.2010, सा.का.नि.सं0 404(अ) दिनांक 13.05.2010, सा.का.नि.सं0 413(अ) दिनांक 17.05.2010, सा.का.नि.सं0 432(अ) दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि.सं0 434(अ) दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि.सं0 451(अ) दिनांक 26.05.2010, सा.का.नि.सं0 689(अ) दिनांक 19.08.2010, सा.का.नि.सं0 836(अ) दिनांक 13.10.2010, सा.का.नि.सं0 899(अ) दिनांक 09.11.2010, सा.का.नि.सं0 954(अ) दिनांक 06.12.2010, सा.का.नि.सं0 920(अ) दिनांक 30.12.2011, सा.का.नि.सं0 94(अ) दिनांक 16.02.2012, सा.का.नि.सं0 115(अ) दिनांक 28.03.2012, सा.का.नि.सं0 325(अ) दिनांक 26.04.2012, सा.का.नि.सं0 941(अ) दिनांक 28.12.2012, सा.का.नि.सं0 55(अ) दिनांक 31.01.2013, सा.का.नि.सं0 104(अ) दिनांक 18.02.2013, सा.का.नि.सं0 602(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि.सं0 604(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि.सं0 45 (अ) दिनांक 22.01.2014 और सा.का.नि.सं0 47 (अ) दिनांक 22.01.2014 द्वारा संशोधित किए गए।